46/2019

20/11/19

पत्रावली पेश हुई, P.O. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली आईन्दा दिनांक 29/11/19 को पेश हो।

29/11/19

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी ने पत्रावली ओडशिडा पर प्रार्थना पत्र विड्रो बाबत टिप्पणी अंकित करते हुए प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही समाप्त किये जाने का निवेदन किया। वकील वादी को सुना गया एवं वकील वादी द्वारा ओडशिडा पर विड्रो बाबत टिप्पणी अंकित करने पश्चात वर्तमान में प्रार्थना पत्र U.e. 212 RTA पर कोई कार्यवाही अपेक्षित न होने से प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो। नंबर से कम दर्ज होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
मिनाय (अजमेर)

Sir
वादी के अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र को देखते हुए प्रार्थना पत्र को विड्रो किया जाता है।
29/11/2019

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Meena
Date: 2020.02.18 11:56:05 IST
Reason: SelfAttested